



**डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश**  
**सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031**

**पत्रांक:** ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स्था० / 2023 / 19389

**दिनांक:** 05 जुलाई, 2023

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

**विषय:** THE ADHAR(TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT,2016 की धारा-7 के अन्तर्गत अधिसूचना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या 337-16-3003 (001)/1/2023 दिनांक 01 जून, 2023 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 01 जून, 2023 के साथ संलग्न प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-57/2023/337/16-3003(001)/1/2023 दिनांक 01 जून, 2023 (प्रति संलग्न) द्वारा उल्लेख किया गया है कि चूंकि सेवाएं या प्रसुविधाएं या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं।

अतः कृपया आपसे अपेक्षा है कि शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना में उल्लिखित व्यवस्थानुसार आधार के उपयोग से शासन, विश्वविद्यालय तथा संस्थान स्तर से छात्र/छात्राओं को यथावश्यक सुविधा/लाभ प्रदान किये जाने हेतु पहचान स्वरूप आधार को अनिवार्य रूप से प्रभावी करवाने का कष्ट करें।


**संलग्नक:** यथोक्त

भवदीय

  
(जी० पी० सिंह)  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रति कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
4. उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. समस्त अधिष्ठाता, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
6. समन्वयक काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. स्टाफ आफीसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

  
(जी० पी० सिंह)  
कुलसचिव

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3**  
**संख्या-57/2023/337 / 16-3003(001)/1/2023**  
**लखनऊ, दिनांक: 01 जून, 2023**  
**अधिसूचना**

चूँकि सेवाएं या प्रसुविधाएं या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिधान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं;

और चूँकि प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिग्री तथा डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश नामांकित छात्रों के लिए प्रमाण पत्र सेवा (जिसे आगे 'योजना' कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है, जो प्राविधिक विश्वविद्यालयों/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (जिसे आगे "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और चूँकि उक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्राविधिक विश्वविद्यालयों/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, में नामांकित अन्यून 14 वर्ष के युवाओं (जिन्हें आगे 'लाभार्थी' कहा गया है) को प्रमाण पत्र, (जिन्हें आगे 'प्रसुविधाएं' कहा गया है) प्रदान किये जाते हैं;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिधान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(एक) उक्त योजना के अधीन उक्त प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति से एतद्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(दो) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त सेवा को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई) की वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा।

(तीन) आधार नामांकन एवं अद्यतन अधिनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई) के विद्यमान रजिस्टारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्टार हो कर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा-

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे छात्र को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्ययधीन प्रदान की जायेगी, अर्थात्:-

- एक 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिये—
- (क) यदि लाभार्थी का नामांकन 05 वर्ष की आयु के पश्चात् किया गया हो (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक अपडेटेड पहचान पर्ची; तथा
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:—
- (एक) जन्म प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या
- (दो) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों; तथा
- (ग) विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी से संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:—
- (एक) जन्म प्रमाणपत्र या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या
- (दो) राशनकार्ड; या
- (तीन) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड (ईएसआईएस) या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या
- (चार) पेंशन कार्ड; या
- (पाँच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या
- (छह) कोई सरकारी परिवार हकदारी कार्ड; या
- (सात) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

दो-18 वर्ष से ज्यादा आयु के लाभार्थियों के लिये—

- (क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:—
- (एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्टऑफिस पासबुक; या
- (दो) स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड); या
- (तीन) पासपोर्ट; या
- (चार) राशन कार्ड; या
- (पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या
- (छह) किसान फोटो पासबुक; या
- (सात) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या
- (आठ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किये गये फोटो युक्त पहचान पत्र; या
- (नौ) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2- उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग अपने कियान्वयनकर्ता अधिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि मीडिया के माध्यम से छात्रों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार उन्हें योजना के अधीन आधार की उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3- समस्त मामलों में जहां छात्रों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:—

(क) खराब फिंगरप्रिन्ट गुणवत्ता के मामले में अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जायेगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिन्ट अधिप्रमाणन के साथ ही आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा।

(ख) यदि फिंगरप्रिन्ट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहां कहीं संभाव्य और अनुज्ञेय हो सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रस्तावित किया जा सकता है।

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती है जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिसपांस कोड (क्यू आर कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिसपांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जा सकेगी।

4- ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी बच्चे को चल रहे अधिप्रमाणन के माध्यम से अपनी पहचान साबित करने में विफल होने या आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में या आधार संख्या समनुदेशित न किये गये किसी बच्चे के मामले में नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा। पैरा 1 के उप पैरा (तीन) के परंतुक के खण्ड 1(ख) तथा 1(ग) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके उसे प्रसुविधा प्रदान की जायेगी; और जहाँ प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाती हो तो उसे अभिलिखित करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसकी विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा की जायेगी।

5- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी (बच्चे से भिन्न) अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी.बी.टी. मिशन कार्यालय ज्ञाप सं० डी.26011/04/2017 डी.बी.टी., कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (<https://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध) में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

6- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

अज्ञा से,  
(कल्पना अवस्थी)  
अपर मुख्य सचिव

**Uttar Pradesh Shasan**  
**Pravidhik Shiksha Anubhag-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 57/2023/337/16-3003(001)/1/2023 dated 01 June, 2023:

**Notification**

No. 57/2023/337 /16-3003(001)/1/2023  
Lucknow; Dated: 01 June, 2023

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS the Department of Technical Education (Degree & Diploma Sector), Uttar Pradesh is administering the service of certificates for the enrolled students (hereinafter referred to as the "Scheme") which is being implemented through the Technical Universities/Government Engineering Colleges and Board of Technical Education, Uttar Pradesh, Lucknow (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

AND WHEREAS under the Scheme, certificates (hereinafter referred to as the "benefits") are given by the Implementing Agency to the youth who are not less than 14 years old and are enrolled in Technical Universities/Government Engineering Colleges and Board of Technical Education Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "beneficiaries") as per the extant Scheme guidelines;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

- (i) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit



any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) As per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :-

**I: For beneficiaries below 18 years of age**

(a) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school and containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

**II: For beneficiaries above 18 years of age**

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

- (v) Voter Identity Card; or
- (vi) Kisan Photo passbook; or
- (vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or
- (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
- (xi) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;


(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code (QR Code) printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I(b) and I(c) of the proviso to sub-paragraph (iii) of paragraph 1; and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bonafide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/> ).

6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,



(Kalpana Awasthi)  
Additional Chief Secretary .